जर्मनी के ड्रैसडन शहर में मुख्य रेलवे लाइन के पास ''टबैको मॉस्क'' बहुत ही खूबसूरत एवं आकर्षक इमारत है। साठ फीट ऊँची चमकीली गुम्बद और मीनारों वाली यह इमारत ड्रैसडन के ऐतिहासिक पुराने शहर के बरोक आर्किटैक्चर के बीच अलग ही नज़र आती है। लेकिन मस्जिद जैसी अपनी बनावट के बावजूद यह मस्जिद नहीं है। यह असल में एक पुरानी तम्बाकू एवं सिगरेट फैक्टरी है। सन् 1907-1909 के बीच जाने माने व्यवसायी ह्यूगो ज़ीट्ज़ ने यह इमारत बनवाई थी, यैनिड्ज़ टबैको एण्ड सिगरेट फैक्टरी के लिए। कम्पनी का नाम ऑटोमन शहर, वैस्टर्न थ्रेस के नाम पर ''यैनिड्ज़'' रखा गया था, जहाँ से तम्बाकू का आयात किया जाता था। यह शहर इस समय आधुनिक ग्रीस में है। शुरुआत में ज़ीट्ज़ को अपनी फैक्टरी के निर्माण का परमिट मिलने में दिक्कत हुई थी, क्योंकि, उस समय शहर के बीचों बीच फैक्टरी बनाने पर प्रतिबंध थे। इसलिए 1907 में उसने एक आर्किटैक्ट, मार्टिन हाइनरिक हैंमिच की सेवाएं लीं। हैंमिच ने कायरो नैक्रोपोलिस के मामलू मकबरों की तर्ज पर फैक्टरी को डिज़ाइन किया तथा लाल व सलेटी ग्रैनाइट ब्लॉक्स का प्रयोग किया, जैसा पारंपरिक इस्लामिक आर्किटैक्चर में होता था। लंबी-लंबी मीनारों वाली यह इमारत बिल्कुल मस्जिद जैसी लगती है, लेकिन ये मीनारें असल में चिमनियां हैं। अपने अनोखे डिज़ाइन के कारण, ड्रैसडन के प्रतिष्ठित बरोक आर्किटैक्चर के बीच बिल्कुल अलग नज़र आने वाली इमारत ''यैनिड्ज़'' के डिज़ाइन को शुरु में नकार दिया गया, यहां तक कि, आर्किटैक्ट्स के संगठन से भी मार्टिन ज़ीट्ज़ को बाहर कर दिया गया। पर फिर जीट्ज़ ने जब कहा कि, वह इस शहर से अपना सारा बिज़नेस समेट लेगा, तब प्रशासन झुका और बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी। बिल्डिंग दो साल में बनकर तैयार हुई। इस पर अरबी भाषा में ''सलाम आलेकुम'' लिखा हुआ है। फैक्टरी पर लिखे शब्द ''सलाम आलेकुम'' और सिगरेट ब्रैन्ड्स ''सलाम गोल्ड'' जर्मनी में काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन यैनिड्ज़ टबैको एण्ड सिगरेट फैक्टरी ज्यादा नहीं चली। पन्द्रह साल बाद किसी और ग्रुप ने इसे खरीद लिया, जिसके बाद यह 1953 तक चली, फिर इमारत को त्याग दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध में बिल्डिंग नष्ट होते - होते रह गई। नब्बे के दशक में इसकी मरम्मत हुई और यहां एक ऑफिस खोला गया। अब इसके गुम्बद में एक रैस्राँ चलता है।

हाईकोर्ट के आदेश से ओ.पी.एस. लागू करने पर संशय!

अदालत ने कहा कि उसके अंतिम फैसले तक पेंशन शुरू करने के लिये प्रोविडेंट फंड में राशि जमा करवा चुके सरकारी कर्मचारियों से पूरी राशि नहीं वसूली जा सकती

- **याचिकाकर्ता के अनुसार सी.पी.एफ. स्कीम के तहत कवर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाती, परंतु ओ.पी.एस. लागू कराने के लिये उन्हें पी.एफ. की पूरी राशि और 12 प्रतिशत ब्याज जमा कराना पड़ेगा।**
- **याचिकाकर्ता ने बताया, ओ.पी.एस. को लागू करने की घोषणा के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रेल 2023 से ही पेंशन दी जायेगी, जो मनमाने तरीके से तय की गई तिथि है।**

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 6 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने ''ओल्ड पेंशन स्कीम'' (ओ.पी.एस.) को मनमाने तरीके से लागू करने के खिलाफ दायर मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सुदेश बंसल ने कहा कि 15 जुलाई, स्कीम के तहत नाम दर्ज करने की आखिरी तिथि है और सभी सेवारत या रिटायर्ड कर्मचारी इसमें नाम दर्ज करवा सकते हैं, परंतु ''सेंट्रल प्रोविडेंट फंड'' (सी.पी.एफ.) स्कीम के तहत कवर होने वाले कर्मचारी अगर ओ.पी.एस. का विकल्प अपनाते हैं तो पेंशन शुरू करने के लिये उनकी प्रोविडेंट फंड में जमा पूरी राशि को सरकार द्वारा नहीं वसूला जा सकता।

अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि जब तक इस याचिका का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्य सरकार सी.पी.एफ. स्कीम के तहत कवर होने वाले कर्मचारियों से उनकी प्रोविडेंट फंड में दी गई राशि वसूल नही कर सकती।

इस मामले में याचिकाकर्ता कुलदीप शर्मा, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, की ओर से अधिवक्ता चंद्रशेखर सिन्हा पैरवी के लिये पेश हुए थे, वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पैरवी के लिये पेश हुए।

पाठकों को बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को सी.पी.एफ.स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद प्राविडेंट फंड की पूरी राशि दी जाती है। इस स्कीम के तहत कवर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाती। परंतु गत बजट सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि वह प्रदेश में ओ.पी.एस. को पुनः लागू करेंगे और तो और सी.पी.एफ. स्कीम के तहत कवर होने वाले कर्मचारियों व रिटायर्ड कर्मचारियों को भी ओ.पी.एस के माध्यम से ही पेंशन देने की घोषणा की। इस घोषणा से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में तालियां तो बटोरीं थीं, परंतु जब स्कीम को लागू करने की बात आई तो राज्य सरकार की ओर से नियम बनाया गया कि जो भी सी.पी.एफ. स्कीम के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें पेंशन शुरू कराने के लिये अपनी पूरी राशि सरकार को जमा करनी होगी तथा पूरी राशि पर 12 प्रतिशत का ब्याज भी देना होगा।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के अनुसार अगर सी.पी.एफ. स्कीम के अन्तर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन शुरू कराने के लिये ना केवल वह राशि पूरी-की-पूरी जमा करानी होगी, परंतु 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा, जबकि रिटायरमेंट पर उन्हें इस भारी दर पर ब्याज नहीं मिलता।

याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में यह तथ्य भी उजागर किया गया है कि ओ.पी.एस. को लागू करने की घोषणा के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रेल 2023 से ही पेंशन दी जायेगी, जो मनमाने तरीके से तय की गई तिथि है और सरकार ने उन कर्मचारियों के विषय में नहीं सोचा है जो इस स्थिति से पहले रिटायर हो गये थे।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अगर सी.पी.एफ. स्कीम के अर्न्तगत आने वाले कर्मचारियों से ब्याज व प्रोविडेंट फंड की राशि नहीं ली गई तो पूरी ओ.पी.एस. स्कीम पर प्रभाव पड़ेगा, जिस पर अदालत ने कहा कि जब तक इस मामले का पूरा निस्तारण नहीं हो जाता तब तक राज्य सरकार यह राशि नही वसूल सकती। अदालत ने सभी सरकारी कर्मचारियों को ओ.पी.एस. स्कीम का फॉर्म भरने की छूट दी है।

'छत्तीसगढ़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

800 दुकानें सरकार द्वारा संचालित हैं लेकिन इनका प्रबंधन एक व्यवसाय संघ (सिंडिकेट) अपने स्टाफ के जरिये करता है। यह शराब घोटाला विपक्ष के लूट-अभियान का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा। इसी अभियान के फलस्वरूप दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है तथा उन्हें जमानत देने से चार बार इंकार किया जा चुका है। प्रसाद ने कहा कि इस सिंडिकेट को अनवर ढ़ेबर चलाते हैं जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री के निकटस्थ रायपुर में मेयर के भाई हैं। इस सिंडिकेट ने राज्य में शराब की अवैध बिक्री के लिये होलोग्राम-युक्त डुप्लीकेट बोतलें तक निर्मित की हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जानकारी में यह बात आ गई है कि इस व्यक्ति ने नया रायपुर, भिलाई तथा मुम्बई में सम्पत्तियाँ खरीदी हैं। अनवर शराब की बिक्री का 15 प्रतिशत हिस्सा अपनी जेब में रखा था तथा इस लूट को राज्य की कांग्रेस सरकार में मौजूद लोगों के साथ साझा किया जाता था।

सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली, 6 जुलाई (वार्ता)। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी की कोशिशों के बीच हो रहे संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा तथा इस दौरान कुल 17 बैठकें होंगी।

सूत्रों के अनुसार संसदीय कार्य

- **केन्द्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई।**

मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को विचार विमर्श के लिए बुलाया है।

विपक्षी दलों के तीखे तेवर देखते हुए बैठक में सरकार की ओर से विपक्षी दलों को विश्वास में लेने की कोशिश की जायेगी जिससे कि अधिक से अधिक विधायी कामकाज पूरा हो सके।

मोदी सरनेम केस में राहुल की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट आज सुनायेगा फैसला

गुजरात हाई कोर्ट ने अगर राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी नहीं माना तो उनकी संसदीय सदस्यता भी बहाल हो सकती है

- **गौरतलब है कि, सूरत हाई कोर्ट ने गत 20 अप्रेल को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुये उन्हें जमानत तो दे दी थी, लेकिन उन्हें दोषी मानते हुये उनकी संसदीय सदस्यता दो साल के लिए निलंबित कर दी थी तथा साथ ही उन्हें छः साल के लिए चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया था।**

नई दिल्ली, 6 जुलाई। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दी गई सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार (7 जुलाई) को फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि, सूरत की अदालत ने राहुल गांधी दोषी करार देते हुए 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था। ऐसे में अगर कल राहुल गांधी के खिलाफ आए सूरत की कोर्ट के सजा के फैसले पर रोक लग जाती है। उन पर लगा अयोग्यता का मामला भी पलट सकता है। फ़िलहाल, कांग्रेस नेता को संसद सदस्य के रूप में 2 प्लस 6 साल के लिए निलंबित हैं।

गौरतलब है कि, इस मामले में राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा के आदेश को चुनौती देते हुए 3 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए एक अर्जी भी दाखिल की। राहुल गांधी को जमानत तो मिल गई थी, लेकिन उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने के उनके आवेदन को 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था।

गौरतलब है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान अपने भाषण में कथित तौर पर कहा था, सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है? इसको लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।

बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

ममता बनर्जी एक दम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सफलता से वे सत्ता में आईं। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव का रणनीति के महत्व वे राज्य के अन्य राजनेताओं से बेहतर जानती हैं।

उन्होंने उदारतापूर्वक जो कुछ दिया उससे सामाजिक-राजनैतिक विरासत तैयार हुई। अब यह कहा जा रहा है कि नगरपालिकाओं और पंचायतों ने जो पैसा खर्च किया उससे राजनैतिक व्यवस्था के लिए अवैध फंड बन गया है।

इससे सामाजिक-राजनैतिक वसूली करने वालों की खेप तैयार हो गई जो अपनी मर्जी से तृणमूल कांग्रेस के लिए लड़ते हैं और इन पर शीर्ष नेतृत्व का कोई दखल नहीं है।

ये ज़मीनी कार्यकर्ता अपनी जागीर बचाने के लिए लड़ते हैं, इससे तृणमूल कांग्रेस भी बची रहती है।

तृणमूल कांग्रेस ने ऐसी हिंसा का सहारा लिया कि विपक्षी पार्टियाँ अपने प्रत्याशी भी खड़े नहीं कर पाईं। कई मामलों में तो तृणमूल के स्थानीय गुंडों की धमकी से विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन तक वापिस ले लिए।

लेकिन तृणमूल कांग्रेस की इस व्यापक हिंसा के कारण विपक्षी पार्टियाँ भी अपनी क्षमतानुसार आंशिक हिंसा से जवाब देने लगीं। विपक्षी पार्टियों के लिए दोहरा संकट था क्योंकि राज्य की पुलिस तृणमूल का बचाव करती और अन्य विपक्षी दलों पर कार्रवाई करती है।

लेकिन राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के दखल के बाद हिंसा में कुछ कमी आई। हर राजनैतिक हत्या और हिंसा के मामले में उनके दखल से तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी पर कुछ अंकुश लगा। अब ग्रामीण चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के लिए असली खतरा है।

पार्टी ने अब प्रचार अभियान चलाया है कि राज्यपाल आनंद बोस भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं। वह अदालत में भी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।

ऐसी स्थिति में फिलहाल 2024 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की राष्ट्रीय स्तर की मांग शांत हो गई है। ममता बनर्जी ग्रामीण चुनावों के बाद इसमें कितनी रूचि लेंगी, यह देखने वाली बात है।

हाई कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

2018 से लंबित चल रहा है और उन्होंने अदालत के आदेश पर ही एक्शन प्लान पेश किया है। वह केवल एक्शन प्लान ही नहीं बनाए, बल्कि काम भी करे।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा कि बरसात के दिनों में करतारपुरा नाला ओवरफ्लो हो जाता है और इसमें आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। जिस पर राज्य सरकार ने कहा कि करतारपुरा नाले से अतिक्रमण हटाने व उसके पुनरुद्धार के लिए एक्शन प्लान पेश कर दिया है। नाले के क्षेत्र में खसरे की भूमि भी आ रही है, जिसे अवाप्त करना होगा। वहीं छह महीने की अवधि में नाले का सीमांकन व अलाइनमेंट तैयार किया जाएगा। नाले का कॉरिडोर बनने के बाद नगर निगम की ओर से इसके सीवरेज मैनेजमेंट का काम किया जाएगा, जिस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार को कहा कि वह तेजी से यह काम करे।

कन्हैया को सिर्फ एन.एस.यू.आई. अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली

- **कन्हैया कुमार के संदर्भ में लंबे समय से कयास लग रहे थे कि, उनको दिल्ली या फिर बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है**
- **कन्हैया कुमार के अनुभव को देखते हुए कई सीनियर नेता उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जैसा बड़ा पद देने के पक्ष में नहीं थे। माना जा रहा है कि, यह फैसला उनके अनुभव और वरिष्ठ नेताओं की सहमति के आधार पर लिया गया है।**

नई दिल्ली, 6 जुलाई। कांग्रेस ने युवा नेता कन्हैया कुमार को अपनी छात्र इकाई एन.एस.यू.आई. का प्रभारी नियुक्त किया है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कन्हैया कुमार की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि कुमार को तत्काल प्रभाव से अपना काम शुरू करने के लिए कहा गया है। लंबे समय से कयास लग रहे थे कि कन्हैया कुमार को दिल्ली या फिर बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि उनके अनुभव को देखते हुए कई सीनियर नेता इसके पक्ष में नहीं थे। माना जा रहा है कि यह फैसला उनके अनुभव और वरिष्ठ नेताओं की सहमति के आधार पर लिया गया है।

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान में कन्हैया कुमार को एन.एस.यू.आई. इंचार्ज बनाने की जानकारी दी गई है। पत्र में लिखा गया है, कांग्रेस अध्यक्ष ने कन्हैया कुमार को एन.एस.यू.आई. का राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जे.एन.यू. में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकलकर वामपंथी दल सी.पी.आई. का हिस्सा बन गए थे। हालांकि वहां भी उनके मतभेद हो गए थे और फिर उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी की मौजूदगी में 2021 में कांग्रेस का दामन थाम लिया था।

चुनावों में महिला आरक्षण का दुरुपयोग, जीतती हैं पत्नियां और पंचायत चलाते हैं पति

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की बात कहकर सुनवाई से इन्कार कर दिया

- **बैंच ने कहा, इस बात पर गौर करना पंचायत राज मंत्रालय का काम है कि, क्या आरक्षण के उद्देश्य को लागू करने के लिए कोई बेहतर तंत्र है ? इस प्रकार याचिकाकर्ता संबंधित पंचायत राज मंत्रालय के समक्ष अभ्यावेदन दे सकता है।**

नई दिल्ली, 6 जुलाई। पंचायत चुनावों में महिला आरक्षण के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि महिला आरक्षण होने के चलते पत्नियां चुनाव जीतती हैं लेकिन उनके पति पंचायत चलाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में आरोप लगाया गया था कि पंचायतों में महिला आरक्षण का दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि आरक्षित सीटों पर अपनी पत्नियों के जीतने के बाद पति प्रॉक्सी के माध्यम से ग्राम पंचायत चला रहे हैं।

अनुच्छेद 243डी (3) में महिलाओं के लिए पंचायत में कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की परिकल्पना की गई है। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, स्वाति जिंदल के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि भले ही आरक्षण लागू किया गया है, लेकिन असल में यह एक प्रॉक्सी मॉडल के माध्यम से कार्य कर रहा है, जिसमें इन निर्वाचित महिलाओं के पति पंचायतों का संचालन कर रहे हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए, याचिका में शीर्ष अदालत से रिसर्च कराने करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए समाधान प्रदान करने के लिए एक समिति गठित करने की मांग की गई। कोर्ट ने याचिका के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया है। इसे मुंडोना ग्रामीण विकास फाउंडेशन की ओर से दायर किया गया था। हालांकि न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से संबंधित पंचायती राज मंत्रालय के सामने इस मुद्दो को उठाने के लिए कहा है कि क्या आरक्षण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर तंत्र लागू किया जा सकता है।

गृह मंत्री की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकते। इससे पहले भी ओ'ब्रायन तथा सिंह ने बृजलाल को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि मणिपुर के हालात पर चर्चा करने के लिये कमेटी की मीटिंग बुलाई जाये। चेयरपर्सन ने इन दोनों सांसदों को अलग-अलग सूचित कर दिया था कि मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिये त्वरित मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि जेल सुधारों को लेकर तीन मीटिंग जुलाई में किया जाना तय हो चुका है। हालाँकि, इस स्टैण्डिंग कमेटी की कुल सदस्य संख्या 28 है लेकिन कल की मीटिंग में, चेयरमैन सहित, कुल 7 सदस्य ही उपस्थित हो सके थे।

'पार्टी विधानसभा चुनाव गहलोत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। सचिन पायलट की सबसे बड़ी जीत यह है कि जिन तीन मांगों के लिए वे आंदोलन कर रहे थे उन्हें कांग्रेस नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया है। राजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के लिए मीटिंग में राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी तारीफ की। राहुल ने कहा, सचिन ने एक दिन का अनशन किया और 5 दिन की यात्रा की, पार्टी को यह मुद्दा उठाना चाहिए और जांच का आदेश देना चाहिए।

अशोक गहलोत हमेशा से इस बात का विरोध करते रहे हैं, वे राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला नहीं उठाना चाहते हैं।

गहलोत से कहा गया है कि वे अन्य दो मांगे भी स्वीकार करें। ये मांगें हैं- आर.पी.एस.सी. में सुधार और पेपर लीक करने वालों को कड़े दंड के लिए कानून बनाना।

राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं का आगामी चुनाव तैयारियों और पार्टी को जिताने पर आई.सी.सी. केन्द्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हुई। इसमें गहलोत ज़ूम के जरिए शामिल हुए।

मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के नेताओं की मौजूदगी में उनके साथ मज़ाक किया और कहा, ''गहलोत जी ये पट्टियां उतारिए और चुनाव अभियान में उतरिए।''

खड़गे ने अनुसूचित जाति व जनजाति से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता नहीं दर्शाने के लिए गहलोत से नाराज़गी जताई। राहुल गांधी ने भी गहलोत सरकार के कामकाज की आलोचना की। उन्होंने कहा सरकार अच्छी योजनाएं लाई है, पर नौकरशाही सरकार चला रही है और उसी का सिक्का चलता है। जबकि सरकार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनी जानी चाहिए।

राहुल ने कहा पार्टी तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत रही है, पर राजस्थान में ऐसा नहीं है, यहां कई चिंताजनक मुद्दे हैं। उन्होंने कहा तीन माह बचे हैं अभी भी अगर सब एकजुट होकर काम करे तो भाजपा को हरा सकते है।

सभी नेताओं ने सर्व सम्मति से कहा कि वे साथ मिलकर काम करेंगे, नेताओं ने सभी निर्णय पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिए।

कहा गया कि प्रत्याशियों के चयन में जीतने की क्षमता देखी जाएगी और प्रत्याशियों की घोषणा सितम्बर के आरंभ में हो जाएगी। वेणुगोपाल ने कहा, जीतने वाले प्रत्याशियों के लिए सर्वे कराया जा रहा है।

राजस्थान में ज़मीनी आकलन यह है कि गहलोत सरकार और पार्टी विधायकों के खिलाफ भारी सरकार विरोधी लहर है। अपने प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए गहलोत ने विधायकों को खुली छूट दे रखी हैं। जीतने के लिए पार्टी को कम से कम 80 विधायकों के टिकट काटने होंगे।

प्र.मंत्री मोदी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नड्डा के साथ मुलाकात हो चुकी है। ये मंत्री हैं- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव और विज्ञान मंत्री किरण रिजीजू।

मेघवाल, जिन्होंने हाल ही में रिजीजू से कानून मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया और भूपेन्द्र यादव दोनों ही राजस्थान के हैं और चर्चा है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पार्टी उनके नामों पर विचार कर रही है।

लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दबाव पर पार्टी अभी फैसला नहीं कर पाई है।

राजे चाहती हैं कि विधानसभा चुनाव उन्हीं के दबाव में लड़ा जाए। सूत्रों का कहना है कि राजे के दबाव से बचने के लिए उन्हें केन्द्रीय मंत्री बनाया जा सकता है।

संकेत हैं कि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटाया जा सकता है क्योंकि उनका पुत्र दो किसानों को कुचलने के मामले में अभी भी जेल में है। यह मामला दो साल पुराना है।

अटकलें हैं कि उनकी जगह प्रधानमंत्री किसी नए ब्राह्मण चेहरे को मंत्री बना सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को मंत्री बनाया जा सकता है।

मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिये एक नाम और विचाराधीन है, और यह नाम है जम्मू-कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा (64) का, जो भूमिहार हैं तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार पर उनकी समान पकड़ है। सिन्हा को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से उठाकर, 2020 में जम्मू-कश्मीर भेज दिया गया था।

'मैं 82 वर्ष का हूँ या 92 का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विश्वस्त प्रफुल्ल पटेल शामिल हैं।

अजीत की टिप्पणियों ने उनके मुख्य समर्थकों को भी असहज कर दिया है क्योंकि उन्होंने राजनैतिक लड़ाई को व्यक्तिगत बना दिया।

इस टिप्पणी पर सुप्रिया सुले ने भी तल्ख प्रतिक्रिया दी, जो अब तक कह रही थीं कि अजीत पवार का राजनैतिक रूख चाहे कुछ भी हो मगर वे उनके बड़े भाई रहेंगे।

सुप्रिया सुले ने कहा, ''कुछ लोग कहते हैं कि जो वरिष्ठ हो गए हैं उन्हें हमें आशीर्वाद देना चाहिए। वे काम करना क्यों बंद करे।

रतन टाटा 86 वर्ष के हैं, सीमर इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला 84 वर्ष के हैं, अमिताभ बच्चन 82 के हैं।

उन्होंने वॉरेन बफे और फारूख अब्दुल्ला का भी नाम लेते हुए कहा, ''हमारा अपमान कीजिए, हमारे पिता का नहीं।''

मीडिया को ब्रीफ करते हुए पार्टी के नेता पी.सी. चाको ने कहा कि बैठक में आठ प्रस्ताव पारित हुए। अजीत पवार के बहुमत के दावे पर शरद पवार ने कहा, ''सच सामने आ जाएगा।''

चाको ने कहा कि संगठन पवार के साथ है। ''एन.सी.पी. की कार्यकारिणी ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और अन्य नौ को निष्कासित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने एन.डी.ए. से हाथ मिला लिया। शरद पवार पार्टी के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

हम अन्य किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के दावे को गंभीरता से नहीं लेते।

हमारा संगठन सुरक्षित हैं और हम शरद पवार के साथ हैं। हर साल एन.सी.पी. चुनाव करवाती है और लोग नियमित रूप से निर्वाचित होते हैं।

कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्तावों में भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक और गतिविधियों तथा विपक्ष के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के दुरूपयोग का विरोध का प्रस्ताव भी शामिल है।

कार्यकारिणी ने केन्द्र सरकार की नीतियों की भी आलोचना की जिससे भयंकर महंगाई, बेरोजगारी एवं महिलाओं की दुर्दशा हुई है।

अजीत पवार और उनके आठ सहयोगियों ने 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार का दामन थाम लिया। पवार को उप मुख्यमंत्री और अन्य को मंत्री बनाया गया है।

इनमें से कइयों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिनकी जांच केन्द्रीय एजेंसियां कर रही हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908